संख्या:12/2017/849जेएल/22-3-17-100(1)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 29 मार्च, 2017***

विषय: जिला कारागार, मेरठ में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी रॉकी उर्फ कॉकी पुत्र श्री विजय सिंह, निवासी जनपद-मेरठ को अन्यत्र कारागार में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-9337/सामा-1(3)/बरेली मं0/2017, दिनांक 27-03-2017 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार, मेरठ में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी रॉकी उर्फ कॉकी पुत्र श्री विजय सिंह, निवासी जनपद-मेरठ को प्रशासनिक आधार पर जिला कारागार, सीतापुर में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति **इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि बंदी को स्थानान्तरित किये जाने से पूर्व विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-1735-1739/2012-महाराष्ट्र राज्य बनाम सईद सुहैल शेख व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार समस्त मा0 विचारण न्यायालयों की पूर्वानुमति वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, मेरठ द्वारा अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।**

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या:12/2017/849जेएल(1)/22-3-17-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
2. जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ/सीतापुर।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ/पुलिस अधीक्षक, सीतापुर।
4. वरिष्ठ अधीक्षक, जि0का0 मेरठ/अधीक्षक, जि0का0 सीतापुर।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in